*165. *[The Questions (Shri Balwant Singh Ramoowalia and Shri Barjinder Singh Humdard) were absent. For answer vide* Col.... *infra.]*

*166..[The Questions (Shri Ram Gopal Yadav) was absent. For answer *vide* Col.... *infra.]*

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में खामियां

*167. **श्री गोपाल सिंह जी0 सोलंकी** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की खामियों को दूर करने के लिए कोई उच्च –स्तरीय समिति नियुक्त करने का एक सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर कोई विचार किया है;

(ग) क्या देश में खनन-कार्य के संबंध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम नही है और क्या इस क्षेत्र में ताल-मेल की भी कमी है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त समिति का गठन कब तक कर दिया जाएगा; और

(ड) क्या सरकार ने खनन कार्यो में तेजी लाने हेतु कोई कार्य-योजना बनायी है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : (क) से (ड) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) : केन्द्रीय इस्पात और खान मंत्री की अध्यक्षता में, खान और भूविज्ञान राज्य मंत्रियों के 27 दिसम्बर, 1996 को हुए सम्मेलन में लिये गए निर्णय के परिणामस्वरूप, अन्य बातों के साथ-साथ खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों में कमियों पर विचार करने के लिए खान मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय किया गया था । तदनुसार खान मंत्रालय में सचिव की अध्यक्षता में उडीसा, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, असम तथा हिमाचल प्रदेश सरकारों के खनन सचिवों, भारतीय खनिज उद्योग संघ के महासचिव तथा भारतीय खान ब्यूरों के महानियंत्रक आदि के सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए 19 फरवरी, 1997 को एक समिति गठित की गई । अन्य बातों के साथ-साथ, समिति के विचारार्थ विषयों में खनिजों के विनियमन तथा विकास से संबंधित मौजूदा कानूनों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करने तथा उन्हें परिवर्तित नीतियों के अनुरूप बनाने के लिए सुझाव देना भी शामिल है।

(ग) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार खनन प्रचालन/खनन कार्य किया जाता है । अधिनियम/नियमों के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है । केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कोई कमी प्रतीत नही होती।

(घ) जैसा ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया है कि खान मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 19 फरवरी, 1997 को समिति का गठन किया गया था तथा इसने 7 जनवरी, 1998 को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

(ड) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 4का (4) में बताया गया है कि फ्ट्टे के क्रियान्वयन की तारीख के बाद सामान्य तौर पर दो वर्षो के भीतर-भीतर खनन प्रचालन प्रारम्भ हो जाने चाहिए जिसके न होने की स्थिति में उक्त दो वर्षो की अवधि बीत जाने पर खनन पट्टा समाप्त हो जाएगा

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Sir, the Mines and Minerals Act had many discrepancies, Therefore, the suggestion was made to appoint a high level Committee for removing the discrepancies in the Act, by amending it. In this connection, I would like to know from the hon. Minister whether he is thinking of bringing forward amendments to remove the discrepancies in the Act.

SHRI NAVEEN PATNAIK: Mr. Chairman, Sir, to answer the hon. Member's question; a Committee has been constituted, under the Secretary, Ministry of Mines. One of the main decisions taken by the Conference of State Ministers of Mines and Geology, held on the 27th December, 1996, was to set up a Committee, under the Chairmanship of the Secretary to the Government of India, Ministry of Mines, *inter alia,* to consider the lacunae in the

Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, and the rules framed thereunder. Accordingly, the Committee, under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Mines, with Mining Secretaries of the State Governments of Orissa, Rajasthan, Karnataka, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Assam and Himachal Pradesh, Secretary-General, Federation of Indian Mineral Industries, and Controller-General, Indian Bureau of Mines, etc., as members, was constituted on the 19th February, 1997. Its terms of reference arc to consider and suggest delegation of powers to the State Governments regarding grants and renewals of prospecting licences, mining leases and other related approvals under the Mines and Minerals Regulation and Development Act, 1957.

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO THE STARRED QUESTIONS

द्वितीय श्रमिक आयोग का गठन

*165. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

श्री बरजिन्दर सिंह :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कतिपय संगठनों ने सरकार के समक्ष द्वित्तीय श्रमिक आयोग के गठन की मांग रखी थी,

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग में किन-किन बातों पर विस्तार से कार्यवाही करने का आग्रह किया गया था:

(ग) क्या सरकार ने द्वितीय श्रमिक आयोग का गठन करने के संबंध में कोई निर्णय ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसका कब तक गठन हो जाने की संभावना है, और

(ड) यदि अभी तक कोई निर्णय नही लिया गया है, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण है?

विधुत मंत्री (श्री आर0 कुमारमंगलम) : (क) से (ड) **भारत के अधिकतर केन्द्रीय मजदूर संघ** संगठनों, नियोक्ता संगठनों ने विश्वव्यापीकरण, व्यापार उदारीकरण तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर बल दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में मौजूदा श्रम कानूनों के वर्गीकरण, सरलीकृत तथा अद्यतन करने के लिए द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की मांग की है। सुझाव पर सरकार ने विचार किया है इसकी जांच की तथा अंतिम निर्णय अभी तक नही लिया जा सका है क्योंकि आयोग के विचारार्थ विषय, संघटन तथा कार्यकाल पर, निर्णय नही लिया जा सका है।

सिक्किम के जरिए चीन के साथ व्यापारिक संबंध

*166. **श्री रामगोपाल यादव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिक्किम के जरिए चीन के साथ व्यापारिक संबंध कायम करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सिक्किम के शिक्षा में मंत्री द्वारा चंडीगढ़ में दिए गए वक्तव्य के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया और निर्णय क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) भारत और चीन जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच सीमा व्यापार पुनः शुरू किए जाने के संबंध में 13 दिसम्बर, 1991 को हस्ताक्षर किए गए ज्ञापन के अनुसरण में, इस समय दोनों देशों के बीच व्यापार केवल दो जगहों नामतः उत्तर प्रदेश में लिपुलेख पास और हिमाचल प्रदेश में शिंपकिला पास के किया जा रहा है। सरकार को इस बात की जानकारी नही है कि किस संदर्भ में सिक्किम के मंत्री ने उक्त वक्तव्य दिया है

Sale of asscsts of M/s. Jcssop and Company Ltd.

*168. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Ministry of INDUSTRY be pleased to refer to answers to Unstarred Questions 7021 and 1569 given in the Rajya Sabha on the 12th May, 1994 and 23rd March, 1995 respectively, and state:

(a) whether a decision was taken in 1982 to dispose of the land and premises of M/s. Jessop & Co. Ltd. for meeting